

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक:एस्टे/एम/एफ.10()आरएमएस(टी)/डीएलबी/18/7109 दिनांक: 26/09/18

आदेश

विभागीय समसंख्य आदेश क्रमांक एस्टे/एम/एफ.10()/आरएमएस(टी)/डीएलबी/18/4466-79 दिनांक 11.06.2018 द्वारा श्री सुधाकर व्यास, सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण/पदस्थापन नगर परिषद, बारां से नगर परिषद, पाली में सहायक अभियन्ता के रिक्त पद पर किया गया था, जिनको आज दिनांक तक नगर परिषद पाली के लिए कार्यमुक्त नहीं किया गया है।

अतः श्री व्यास को निर्देशित किया जाता है कि आज दिनांक 26.09.2018 को नगर परिषद बारां से अपने आपको कार्यमुक्त मानते हुए नगर परिषद, पाली में अविलम्ब ज्वाइन कर अपनी उपस्थिति देवें।

श्री व्यास, सहायक अभियन्ता को वेतन भुगतान नगर परिषद, बारां से नहीं दिया जावे।

(पवन अरीड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

7110-22

दिनांक: 26/09/18

क्रमांक:एस्टे/एम/एफ.10()आरएमएस(टी)/डीएलबी/18/
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन व नगरीय विकास विभाग राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, निदेशालय जयपुर।
4. जिला कलक्टर, बारां/पाली।
5. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर/कोटा।
6. सभापति/आयुक्त, नगर परिषद, बारां/पाली।
7. श्री सुधाकर व्यास, सहायक अभियन्ता, नगर परिषद, बारां को प्रेषित कर लेख है कि अविलम्ब नगर परिषद, पाली में ज्वाइन नहीं करने पर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।
8. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव